न्यायालय लेण्ड रेकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(श्री शक्तिसिंह भाटी,आर0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्या :– 158/2017
दायर दिनांक :– 04/12/2017
फैसल दिनांक :– 14/05/2018

अनवान

01– श्री बंशीलाल पुत्र लालु कुमावत निवासी बामणियांकला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

01–सरकार जरिये तहसीलदार,रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

::निर्णय::

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम बामणियांकला की सीमा में स्थित कृषि आराजी संख्या 993 रकबा 1–05 बीघा भूमि स्थित है। जो भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नंदुदेवी पत्नी गोर्धनलाल, मुलीदेवी पति रामेश्वरलाल ब्राहमण 1/3 व लालु पिता दोला कुमावत 2/3 हिस्सा से दर्ज अंकित है। प्रमाण नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। उक्त भूमि के खातेदार लालु पिता दोला की मृत्यु पश्चात् उक्त भूमियों का नामान्तरकरण सं. 1907 दिनांक 21.12.2015 को पारित किया गया जो खातेदार लालु के वारिसान लालु पिता दोला के बजाय गोपीलाल, बंशीलाल पिता लालु, लेहरी पति स्व0 लालु, राजमल, हंसराज, पुष्कर, बाली, शायरी,रेखा पिता हीरालाल, शांती पति स्व0 श्री हीरालाल के नाम पर नामान्तरकरण पारित होकर इन भूमियों में इनका 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित हो गया है। नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 साथ संलग्न है। यह कि नामान्तरकरण सं. 1907 लालुजी की मृत्यु पश्चात् विरासत से पारित होने के पश्चात् उक्त भूमिया प्रार्थना पत्र की कलम सं. 01 एक में वर्णित खातेदारान के नाम पर नामान्तरित होने पर उक्त भूमि के सहखातेदार बंशीलाल पिता लालु द्वारा आराजी सं. 993 रकबा 1–05 बीघा भूमि मे से अपना 1/12 वां हिस्सा गोपीलाल पिता केसुजी जाति कुमावत निवासी बामणियांकला को दिनांक 14.10.2016 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से विकय किया। रजिस्टर्ड विकय पत्र की फोटो प्रति साथ संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित विकय पत्र के आधार पर पटवार हल्का बामणियांकला द्वारा उक्त भूमियों का नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर गोपीलाल पिता केसुजी कुमावत निवासी बामणियांकला के नाम पर पारित किया गया जो नामान्तरण सं. 2004 दिनांक 25.11.2016 को फैसल किया गया। जिसमें पटवार हल्का बामणियांकला द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र एवं जमाबन्दी संवत् 2072–75 में खातेदार बंशीलाल पिता लालु का नाम अंकित होते हुए उक्त नामान्तरण बंशीलाल पिता दोला के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त जमाबन्दी की नकल में स्पष्टतः नाम बंशीलाल पिता लालु दर्ज अंकित है। एवं बंशीलाल पिता लालु उक्त नामान्तरण एवं विकय पत्र से पारित नामा0 सं. 2004 में भी बंशीलाल पिता

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

लालु ही दर्ज अंकित करना चाहिए था। जो नहीं कर पटवार हल्का की प्रत्यक्ष त्रुटि है। बंशीलाल पित दोला जो बंशीलाल के दादाजी का नाम पटवार हल्का द्वारा पिता के जगह अंकित कर दिया गया है जबकि उक्त गांव बामणियांकला में बंशीलाल पिता दोला के नाम से कोई व्यक्ति नहीं होकर बंशीला पिता लालु के नाम से ही है। उक्त त्रुटि राजस्व अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष होने से त्रुटि को दुरूस्त सुधा कराया जाकर बंशीलाल पिता दोला के बजाय बंशीलाल पिता लालु राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जान न्याय हित में नितान्त आवश्यक है। खाता संख्या 613 में स्थित आराजी सं. 993 की वर्तमान जमाबन्द से ही स्पष्ट प्रतीत है कि बंशीलाल पिता लालु नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित होते हु नामान्तरकरण संख्या 2004 पारित करते वक्त पटवार हल्का की गलती से बंशीलाल पिता लालु व बजाय दोला अंकित कर दिया गया है जो प्रार्थी के दादा का नाम है। जिसे सुधार कराया जाक बंशीलाल पिता दोला के बजाय राजस्व रेकार्ड में बंशीलला पिता लालु अंकित कराये जाने हेतु प्रार्थन पत्र प्रार्थी की ओर से आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी की ओर से उक्त राजस रेकार्ड में पिता लालु के बजाय दोला अंकित होने की जानकारी आज से करीब एक माह पूर्व पटवा हल्का से राजकीय प्रयोजनार्थ हेतु जमाबन्दी की नकल निकलवायी तब पता चला इसे पूर्व उक्त पित का नाम गलत अंकन होने की जानकारी कभी प्रार्थी को नहीं हुई एवं उसके पश्चात् जानकारी होते ह प्रार्थी की ओर से उक्त नामान्तरकण संख्या 2004 की नकल निकलवायी एवं नकल निकलवाते ह उक्त अंकन दुरूस्त हेतु उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र व हेतुक आज से करीब एक माह पूर्व प्रार्थी द्वारा जब उक्त जमाबन्दी की नकल निकलवायी तब प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरू विपक्षी स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि ग्राम बामणियांकला की खात संख्या 613 में स्थित आराजी संख्या 993 की खातेदारी बंशीलाल पिता दोला के बजाय सही इन्द्रा बंशीलाल पिता लालुजी कुमावत नि0 बामणियांकला दर्ज अंकित कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गय पत्रावली विपक्षी के जवाब में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लो अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत बामनिया कला पर आयोजि शिविर में रखा गया। दौराने शिविर विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बामनिया कला व जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 613 में दर्ज खसरा नम्बर 993 रकबा 01–05 बीघा में ला पिता दोला 2/3 कुमावत का नाम दर्ज था जिसका नामान्तरकरण संख्या 1907 दिनांक 21.12.2015 विरासत द्वारा वादी बंशीलाल पिता लालु का हिस्सा 2/12 दर्ज हुआ। वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नामान्तरकरण संख्या 2004 दिनांक 20.11.2017 से आराजी संख्या 993 रकबा 01–05 बीघा हिस 2/12 में से 20/500 का बेचान गोपीलाल पिता केशु कुमावत के पक्ष मे किया। वक्त नामान्तरक कार्यवाही नामान्तरकरण फर्द की कॉलम संख्या 07 (वर्तमान प्रविष्ठि) तथा प्रस्तावित प्रविष्ठि कॉल संख्या 09 में बंशीलाल पिता लालु के बजाय बंशीलाल पिता दौला दर्ज कर दिया है जबकि वास्तवि प्रविष्ठि बंशीलाल पिता लालु होना चाहिये थी।

प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कि गया तो जाहिर आया कि पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सि करने में सफल रहा है।

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)